-315-

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड

नामकुम, राँची।

फोन न0– 0651–2261000,2261856–2261002 मेल आई0डी0—nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक : 9/RCH - 157/2012 - 615 (MD) राँची, दिनांक : 28.06.18

कार्यालय आदेश

झारखण्ड राज्य में गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं नियमित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है। उक्त के दृष्टिगत झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के द्वारा एक नवीन प्रयास कर विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर Bidding प्रक्रिया अपनाते हुए संस्थान आवंटित करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई। उक्त Bidding प्रक्रिया के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु गठित समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सफल विशेषज्ञ चिकित्सकों को औपबंधिक रूप से उल्लेखित मानदेय पर चिन्हित संस्थान आवंटित किया जाता है :–

List of Candidates

S.N	Name of the candidate	Specialization	Facility	TYPE of Facility	Name of Facility	District	Remuneration per month in INR
1	Dr. Vikas Kumar	RAD	DH	FRU	Bokaro	Bokaro	149999
2	Dr. Kusum Prakash	OBS	DH	FRU	Bokaro		125000
3	Dr. Awaneesh Shrivastava	ANA	Ref. Hosp.	FRU	Jainamore		150000
4	Dr. Ravi Ranjan	SUR	Ref. Hosp.	FRU	Jainamore		90000
5	Dr. Sweta	OBS &GYN	Ref. Hosp.	FRU	Jainamore		104000
6	Dr. Sourabh Sankhyayan	ANA	SDH	FRU	Chas		120000
7	Dr. Jagjivan Murmu	SUR	CHC	FRU	Sarwan	Deoghar	150000
8	Dr. Kundan Kumar	PED	DH	FRU	Deoghar		80000
9	Dr. Homa Fatma	OBS &GYN	UCHC	NUHM	Kendawadih	Dhanbad	179999
10	Dr. Sangeeta Chhaya	OGS	CHC	FRU	Kathikund	Dumka	150000
11	Dr. Raj Narayan Tiwari	PED	UCHC	NUHM	Birsa Nagar	E.Singhbhum	135000
12	Dr. Darukhshan Anjum	OBS &GYN	UCHC	NUHM	Birsa Nagar		125000
13	Dr. Poonam Kumari	OBS &GYN	UCHC	NUHM	Mango		70000
14	Dr. Nimisha Rani	PED	DH	SNCU	Godda	Godda	125000
15	Dr. Paireenta Kujur	OBS	Ref. Hosp.	FRU	Sisai	Gumla	89999
16	Dr. Asha Oroan	OBS	Ref. Hosp.	FRU	Basia		100000
17	Dr. Bhaskar Prd. Sah	PED	DH	SNCU	Hazaribag	Hazaribagh	199000
18	Dr. Vineeta Kumari	OBS	DH	FRU	Koderma	Koderma	120000
19	Dr. Shahbaz Alam	SUR	CHC	FRU	Kuru	Lohardaga	180000
20	Dr. Asif Ahmad Ansari	SUR	CHC	FRU	Patratu	Ramgarh	110000
21	Dr. Deepak Hemrom	ANA	CHC	FRU	Mandu		150000
22	Dr. Kumar Sitanshu Mahan	RAD	DH	FRU	Ramgarh		179999
23	Dr. Suman Kumar	RAD	DH	FRU	Ranchi	Ranchi	149000
24	Dr. Manisha Bhagat	ANA	Ref. Hosp.	FRU	Mandar		120000
25	Dr. Pradeep Minz	PED	Ref. Hosp.	FRU	Mandar		100000
26	Dr. Bholanath Murmu	SUR	SDH	FRU	Chandil	Saraikela	160000
27	Dr. Sanjeev Kumar	OBS	CHC	FRU	Manoharpur	W.Singhbhum	164500
28	Dr. Pradeep Kumar Majhi	SUR	CHC	FRU	Manoharpur		300000

उपरोक्त अनुशंसित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों का चयन निम्न शर्त आधारित किया जाता है :–

1. सभी सिविल सर्जन एवं नियंत्री पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि पदस्थापित नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों का तत्काल योगदान लेना सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात मूल प्रमाणपत्रों की जाँच एक माह के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
2. उक्त आवंटन पूर्ण रूप से लक्ष्य पूर्ति आधारित होगी तथा प्रत्येक माह कार्य की समीक्षा की जायेगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों के द्वारा किसी भी नियमितिकरण संबंधित दावा भविष्य में अनुमान्य नहीं होगा।
4. सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी को झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत नियमानुसार अवकाश एवं अन्य देय सुविधा अनुमान्य होगा।
5. पदस्थापित सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी अपने निर्धारित कार्यदायित्व (TOR) के अनुरूप कार्य करेंगे एवं आवश्यकताधारित नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा दिये गये अन्य दायित्व का भी निर्वहन करेंगे।
6. फौजदारी मुकदमा में दण्डित होने पर अथवा चयनित सफल अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित सूचना अथवा प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उनका आवंटन स्वतः समाप्त हो जायेगा एवं भुगतेय किये गये मानदेय नियमानुसार वसुलनीय होगा।
7. चयनित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी को उनके आवंटित संस्थान पर कार्य करना होगा।
8. आवंटित पद अस्थानान्तरणीय होगा।
9. चयनित विशेषज्ञ चिकित्सक को संस्थान के साथ एक वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष समाप्ति तक का एकरारनामा करना होगा।
10. यदि किसी भी समय JRHMS के द्वारा चयनित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो JRHMS को यह शक्ति प्रदत्त रहेगा कि एक माह का अग्रीम मानदेय भुगतान कर हटाया जा सकता है।
11. यदि चयनित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी आवंटित संस्थान को स्वंय छोडना चाहते हैं तो उन्हें तीन माह के पूर्व सूचना या तीन माह का मानदेय अग्रीम भुगतान कर संस्थान छोड सकते हैं।
12. यह आवंटन कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत किया जा रहा है। आवंटित संस्थान में नियमित/अनुबंध आधारित नियुक्ति होने पर एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
13. विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में पदस्थापित सभी चिकित्सा पदाधिकारी अपने कार्य के अतिरिक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के दायित्व एवं अन्य दायित्व आवश्यकतानुसार का भी निर्वहन करेंगे।
14. पदस्थापित स्थान पर योगदान करने के लिए यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
15. मानदेय का भुगतान पदस्थापित स्थान पर योगदान स्वीकृति की तिथि से देय होगा।

इस पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(अभियान निदेशक)

ज्ञापांक : 615 (MD) दिनांक : 28.06.18

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3/कोषांग प्रभारी, FRU, NUHM, SNCU/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभियान निदेशक)
28.6.18

Bhagat/Office order/2